

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र05(2)बजट(योजना)-16/2012- ५१ (amr) /खाद्य,पटना-15,दिनांक-12/12/14

प्रेषक,

हुकुम सिंह मीना,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :- मुख्यशीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 103 उपभोक्ता आर्थिक सहायता, उपशीर्ष 0101 बी0पी0एल0 परिवारों को इकोनोमिक दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति, विषय शीर्ष 3301-सब्सिडी योजना मद विपत्र कोड-8000-पी0- 3456001030101, मांग संख्या-18 राज्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कुल 1,30,33,00,000 (एक अरब तीस करोड़ तैतीस लाख) रुपये मात्र का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि विषयांकित शीर्ष यथा मुख्यशीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 103 उपभोक्ता आर्थिक सहायता, उपशीर्ष 0101 बी0पी0एल0 परिवारों को इकोनोमिक दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति, विषय शीर्ष 3301-सब्सिडी योजना मद विपत्र कोड-8000-पी0-3456001030101, मांग संख्या-18 राज्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु वित्त विभाग के पत्रांक ब-18/बीसी0एफ0 316/2014 66 सी0एफ0 दिनांक 27.11.2014 द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त 1,30,33,00,000 (एक अरब तीस करोड़ तैतीस लाख) रुपये मात्र को वित्त विभाग के परिपत्र 2561/वि0 दिनांक 17.04.1998, में निहित निदेश केआलोक में वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत संलग्न तालिका के अनुसार आवंटित करते हुए आवश्यकतानुसार/नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

क्र0	ईकाइ का नाम	वित्तीय वर्ष 2014-15 में बी0सी0एफ0 से प्राप्त उपबंध	वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु आवंटित की जाने वाली राशि
1	33 01 सब्सिडी	1,30,33,00,000	1,30,33,00,000

1,30,33,00,000 (एक अरब तीस करोड़ तैतीस लाख) रुपये मात्र ।

:2:

2. बी0सी0एफ0 से प्राप्त राशि, खण्ड II- 8000- आकस्मिकता निधि मुख्यशीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, लघुशीर्ष 103 उपभोक्ता आर्थिक सहायता, उपशीर्ष 0101 बी0पी0एल0 परिवारों को इकोनोमिक दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति, विषय शीर्ष 3301-सब्सिडी इकाई विपत्र कोड सं0-8000-पी0-3456001030101, मांग संख्या-18 राज्य योजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2014-15 में विकलनीय होगी ।
3. विभागीय पत्रांक 288 दिनांक 12.12.2014 द्वारा बी0सी0एफ0 से प्राप्त राशि को व्यय करने की स्वीकृति दी जा चुकी है ।
4. राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी ।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग के द्वारा एतद् संबंधी समय-समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के आलोक में की जाएगी । किसी भी प्रकार की गलत निकासी एवं अधिक निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि प्रत्येक माह में निकासी एवं व्यय की गयी राशि का ईकाइवार विवरणी निर्धारित प्रपत्र 'क' एवं 'ख' में अगले माह की 10वीं तारिख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा देंगे, अन्यथा व्यय संबंधी किसी भी गड़बड़ी के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होंगे ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट(योजना)16/2012

खाद्य, पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि-महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट(योजना)16/2012

खाद्य, पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि-वित्त विभाग, (बजट शाखा) बिहार, पटना एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट(योजना)16/2012

49(अस)

खाद्य, पटना/दिनांक-

12/12/14

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी- 01,05 एवं 06 लेखा शाखा (दो प्रतियों में) एवं आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव (31/12/2014)